

दिनांक 4/22

बनाम

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

दिनांक 31.2022

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री महेश कृष्ण शर्मा ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर. एक्ट पेश की। पत्रावली दर्ज रजि0 होकर पेश हुई। प्रार्थी ने जो सीमाज्ञान रिपोर्ट पेश की है वह 2 वर्ष पूर्व की है तथा स्पष्ट नहीं है अतः प्रार्थी को हिदायत दी जाती है कि पुन अपने खर्चे पर तहसीलदार बरसी को सीमाज्ञान हेतु दो सप्ताह में आवेदन करें तहसीलदार बरसी के दो सप्ताह में सीमाज्ञान करने हेतु टीम गठित करें। सभी पडौसी खातेदारों को सूचित करते हुए सीमाज्ञान करवाकर रिपोर्ट तथा किसी पडौसी को इस पर आपत्ति हो तो आपत्ति सहित प्रस्तुत करें। अप्रार्थीगण के जरिये नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 21/02/2022 को पेश हो।

OB
उपखण्ड अधिकारी
बरसी, जयपुर

तहसीलदार बरसी
को तहसीलदार

38

25/1/22

1/2/22

~~पत्रावली माफ पेश हुई~~ पत्रावली तहसीलदार
बरसी अन्तर्गत रिपोर्ट हेतु दिनांक
21/03/2022 को पेश हो

OB
उप खण्ड अधिकारी
बरसी (जिला जयपुर)

1/3/22

पत्रावली पेश हुई। P.O. सा. दौरे/अन्य
कार्य में कार्य करने के कारण कार्यवाही
नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक
19/5/22 को पेश हो।

9/5/22

पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार बरसी को प्रे में तहसील
दार की ओर डुकी है। पत्रावली वाला अन्तर्गत रिपोर्ट
हेतु दिनांक 4/7/22 को पेश हो

OB
उप खण्ड अधिकारी
बरसी (जिला जयपुर)

OB

1/7/22

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों उपर
पत्रावली पर वांछित तहसीलदार
बरसी रिपोर्ट प्राप्त हुई जो

जो शामिल मिसल है। कालि त्राणी
 को सुनागमा शाखा की पत्रावली एवं पत्रावली पर
 मौजूद फतावेजों का सावधानी पूर्वक अवलोकन
 किया जावे पश्चात त्राणी का त्राणीना पत्र धारा
 128 एल-आर-एल न्यायवृत्ति में लचीकाट किये
 जाने का आदेश दिए जाते हैं। विस्तृत निर्णय प्रत्यक्ष
 से लिखवाया जाकर शामिल मिसल की पत्रावली को जल
 सुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होने पर पारिषद पत्राव
 दी।

निर्णय आज दिनांक 4/7/22 को रजिस्ट्रार न्यायालय एवं सरी
 राजलास सुनागमा



उप खण्ड अधिकारी
 बरसी (जिला जयपुर)

430

11/7/22

वधनीमफर
 कसी को
 वधनी गरी